



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
रक्षा मंत्रालय  
MINISTRY OF DEFENCE  
कैंटीन स्टोर्स विभाग  
CANTEEN STORES DEPARTMENT

Tele : 22037120/40/80  
Fax No. : 022-22037125  
e-mail : agmew@csdindia.gov.in

'ADELPHI', 119, MK ROAD  
MUMBAI - 400 020  
[www.csdindia.gov.in](http://www.csdindia.gov.in)

**निविदा आमंत्रण सूचना**

कार्य का नाम	सीएसडी में आंतरिक सीढ़ी और लिफ्ट लॉबी की मरम्मत और रखरखाव
पूर्ण करने की अवधि	60 दिनों के भीतर (कार्य-आदेश जारी करने के बाद)
अनुबंध का प्रकार	निविदा अनुसूची 'डी' (कार्य की वस्तुओं की सूची) में रखे गए विनिर्देशों/ड्राइंग पर आधारित होगी जिसका मूल्य निविदा द्वारा निर्धारित किया जाएगा। निविदाकर्ताओं को अनुसूची 'ए' की वस्तुओं के विरुद्ध दरें उद्धृत करना आवश्यक है।
ईमेल पता	agmew@csdindia.gov.in
ईएमडी	3% उद्धृत राशि की लागत
निविदा जारी करने वाले प्राधिकारी	एजीएम /अधीक्षक (ई एंड डब्ल्यू) सीएसडी, एचओ।
निष्पादन एजेंसी	एस्टेट एंड वर्क्स, सीएसडी एचओ

**\* सूचना एवं विवरण**

- (ए) निविदा/बोली के प्रकाशन की तिथि :- 06 फरवरी 2025  
(बी) निविदा/बोली जमा करने की प्रारंभ तिथि :- 17 फरवरी 2025 (9.30 बजे से)  
(सी) निविदा/बोली जमा करने की अंतिम तिथि :- 17 फरवरी 2025 (15.00 बजे तक)  
(डी) निविदा/बोली खोलने की तिथि :- 17 फरवरी 2025 (15.30 बजे)  
(\*निविदा सीएसडी एचओ के रिसेप्शन में रखे टेंडर बॉक्स में जमा की जानी चाहिए।)

**टिप्पणी:**

1. ठेकेदारों को पात्रता की जांच के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड/जमा करने होंगे:

- (ए) फर्म के लेटर हेड पर या फर्म की मोहर के साथ निर्धारित 'ए' संलग्नक और निदेशक/मालिक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के लिए आवेदन।  
(बी) वैध जीएसटी दस्तावेजों की प्रति।  
(ग) शासन में किये जा रहे कार्यों का विवरण। एजेंसियाँ, यदि कोई हों।  
(डी) इस परिशिष्ट में वर्णित अनुसार आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र।

\*एमईएस सूचीबद्ध ठेकेदार को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. ठेकेदार को अपनी ओर से किसी तीसरे पक्ष/किसी अन्य फर्म को उप-किराए पर या पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कार्य निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालाँकि, एक ठेकेदार मालिक/साझेदार/निदेशक के बेटे/बेटियों/पति/पत्नी और फर्म के अपने कर्मचारियों, निदेशक, परियोजना प्रबंधक को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कार्य निष्पादित कर सकता है, बशर्ते कि उनके पास मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में उनके नाम पर एक अलग सूचीबद्ध फर्म न हो।

3. प्रतिष्ठानों की चोरी/क्षति: किसी भी चोरी के मामले में, सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित व्यक्तियों की ओर से लापरवाही, इरादों के कारण प्रतिष्ठानों/रक्षा संपत्ति को नुकसान, मामले की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारियों का एक बोर्ड। यदि अधिकारियों का बोर्ड सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित व्यक्तियों की पहचान करता है, तो वह (सेवा प्रदाता) स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा तय किए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में स्वीकारकर्ता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और सेवा प्रदाता का इस संबंध में कोई दावा नहीं होगा।

4. जीएसटी पंजीकरण (अद्यतन संशोधित) संख्या: सभी अनुबंधों पर जीएसटी की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए। ठेकेदारों को टी"बोली के साथ अपना जीएसटी पंजीकरण नंबर अपलोड करना अनिवार्य है। यह "टी" बोली में अर्हता प्राप्त करने के मानदंडों में से एक होगा। जो ठेकेदार जीएसटी पंजीकरण संख्या अपलोड नहीं करेगा, उसे टी-बोली मूल्यांकन में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी वित्तीय बोली नहीं खोली जाएगी।

(बी) उपरोक्त दस्तावेज़ पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किए जाएंगे।

5. निविदाकर्ताओं/बोलीदाताओं को साइट निरीक्षण और माप के लिए अधोहस्ताक्षरी या ईएंडडब्ल्यू सक्षम प्राधिकारी, जो कार्य की निष्पादन एजेंसी भी है, के साथ पूर्व नियुक्ति करके कार्य स्थल पर जाना अनिवार्य है। माना जाता है कि निविदाकारों/बोलीदाताओं को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों, नमूनों, साइट आदि की पूरी जानकारी है, चाहे उन्होंने उनका निरीक्षण किया हो या नहीं।

6. ठेकेदार या तो स्वयं कार्य के निष्पादन की निगरानी करेगा या फर्म के अधीन कार्य करने वाले सक्षम पर्यवेक्षक/एजेंट को नियुक्त करेगा।

7. पानी की शर्तें (IAFW-2249 अनुबंध की सामान्य शर्तों में से 31) \* सीएसडी द्वारा अनुबंध दरों पर प्रति हजार रुपये (1000/- रुपये) के काम के लिए 3.75 रुपये के भुगतान पर पानी की आपूर्ति की जाएगी।

8. अंतिम बिल राशि का 3% विभाग द्वारा रखरखाव अवधि के अंत तक (अंतिम बिल भुगतान की तारीख से एक वर्ष) तक सुरक्षा जमा / प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में रखा जाएगा और उसके बाद राशि जारी की जाएगी। रखरखाव दायित्व अवधि के दौरान फर्म सभी मरम्मत कार्यों को निःशुल्क करेगी।

9. यदि ठेकेदार काम पूरा करने और काम पूरा करने के लिए निर्धारित तिथि पर या उससे पहले साइट खाली करने में विफल रहता है, तो वह सीएसडी या सरकार के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। भारत की प्रक्रिया।

10. सभी मामलों में बोली लगाने वाले, अधोहस्ताक्षरी या अधीक्षक (ई एंड डब्ल्यू) कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र का मूल्यांकन करने के हकदार हैं।

• भुगतान ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत फर्म खाते पर केवल निर्धारित समय और टी एंड सीडी / निविदा में उल्लिखित विनिर्देशों / ई एंड डब्ल्यू, सीएसडी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के भीतर ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य पूरा करने के बाद ही जारी किया जाएगा।



सहायक महाप्रबंधक  
(एस्टेट एवं वर्क्स)

**Repair & maintenance of internal staircase & lobby area at CSD HO.**

S No	Description	Qty	Unit	Rate	Amount	Remarks
1	M& L for preparation of wall surface by cleaning including scraping/ sand tapering etc. to remove dirt, dist & applying one coat of wall primer	3800	sqft			
2	M&L for applying putty with one coat, with one cote primer after scrapping.	3800	sqft			
3	M&L Royal interior paint two coats.	3800	sqft			
				Total		
				GST		
				Grand Total		

(\*scheduled A should be on firms letter head & duly signed by proprietor)